

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लालुराम

किस्म मुकदमा -131,133 भू रा. अधिनियम

विपक्षी : राज्य

पत्रावली संख्या : 52/24

जीसीएमएस : 2024/225

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 24.06.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का मूल वाद में पेश करने पर तलब की गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

